(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 126 **नई दिल्ली**, 28 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास स्थित और भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि. द्वारा प्रचालित लिक्विड कार्गो जेट्टी के प्रशुल्क की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है ।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/26/2006-बीपीसीएल (जेएनपीटी)

भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमि. आवेदक

आ दे श

(मार्च 2010 के 31 वें दिन पारित किया गया)

यह प्रकरण जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) स्थित और भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रचालित लिक्विड कार्गो जेट्टी के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता के विस्तार से संबंधित है ।

2. कथित लिक्विड जैट्टी का वर्तमान प्रशुल्क इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 7 अगस्त 2007 के आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया था और प्रशुल्क की वैधता 31 मार्च 2010 तक निर्धारित की गई थी ।

3. अपने प्रशुल्क के संशोधन के लिए बीपीसीएल ने अपना प्रस्ताव दाखिल कर दिया है जिसे परामर्श के लिए लिया गया है । साथ ही, प्रस्ताव की आंतरिक रूप से जाँच पड़ताल हो रही है और प्रचालक से मांगी गई अतिरिक्त सूचनाएँ /स्पष्टीकरण अभी आने बाकी हैं । इस बीच में, बीपीसीएल ने दिनांक 23 मार्च 2010 के अपने पत्र के माध्यम से, अपने वर्तमान दरमान की वैधता बढ़ाने का अनुरोध किया है ।

4. जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, प्रचालक से मांगी गई अतिरिक्त सूचनाएं /स्पष्टीकरण अभी प्रतीक्षित हैं । इसके अलावा, परामर्शी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में संयुक्त सुनावाई अभी बाकी है । अतएव, संशोधित प्रशुल्क के अनुमोदन को अभी कुछ और समय लगेगा ।

5. उपरोक्त के प्रकाश में यह प्राधिकरण वर्तमान प्रशुल्क की वैधता 30 सितम्बर 2010 अथवा, संशोधित प्रशुल्क के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित करता है ।

6. 1 अप्रैल 2010 के बाद वाली अवधि में ग्राह्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसे निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूरी तरह समायोजित किया जाएगा ।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष